कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-02.12.2024

विषयः- नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने, उसका वीडियो/फोटो वायरल करने की धमकी देने व एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के मुकदमे मे वांछित अभियुक्त शनि को थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व मे थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0356/2024 धारा 64,137(2),351(2) बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(v) SC/ST ACT थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त शनि पुत्र राजेन्द्र राजभर निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना रोहनिया जिला वाराणसी को आज दिनांक-02.12.2024 को समय करीब 10.45 बजे भदवर मोड़ थाना रोहनिया वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-01.12.2024 को वादी मुकदमा ने विपक्षी शनि के द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष को बहला-फुसलाकर उसके शारीरिक सम्बन्ध बनाते हुये उसका फोटो निकालने व वीडियो बनाने, विपक्षी शनि राजभर द्वारा पीड़िता को ब्लैकमेल कर मिलने के लिए बुलाने पर नहीं आने पर उसका वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देने तथा दिनांक-27.11.2024 को वीडियो व फोटो डिलीट करने के बहाने से बुलाकर विपक्षी शनि व उसके अन्य तीन दोस्तों द्वारा वादी की पुत्री को गाड़ी में बैठाकर कही दूर इलाहाबाद की तरफ ले जाकर सुनसान स्थान पर छोड़ देने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना रोहनिया में मु0अ0सं0-0356/2024 धारा 64,137(2),351(2) बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(v) SC/ST ACT पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनियां द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शनि पुत्र राजेन्द्र राजभर निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना रोहनिया जिला वाराणसी, उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- भदवर मोड़ थाना रोहनिया वाराणसी से, दिनांक-02.12.2024 को समय करीब 10.45 बजे।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1- मु0अ0सं0 0356/2024 धारा 64,137(2),351(2) बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(v) SC/ST ACT थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 धर्मचन्द्र थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।

2- उ0नि0 श्याम नारायण यादव थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।

3- हे0का0 सन्तोष कुमार यादव थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।

4- का0 अजय गुप्ता थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।